बिजली सुधारों से उपजे सवाल

सुनील

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की बिजली दरें बढ़ाने की ताज़ा याचिका में कई अर्धसत्य पेश किए गए हैं। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश इस याचिका में कहा गया है :

"म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, एशियन विकास बैंक के मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता से, सुधार एवं पुनर्गठन प्रक्रियाओं की ओर बढ़ चुका है।"

मध्यप्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह एशियाई विकास बैंक के नियत्रण में जा चुकी है, यह सही है। म.प्र. विद्युत मंडल के कई टुकड़े किए जा रहे हैं, जिसे 'पुनर्गठन' कहा गया है, यह भी सही है। लेकिन बिजली व्यवस्था में सुधार तो कहीं दिखाई नहीं देते। बल्कि बिजली व्यवस्था और म.प्र. विद्युत मंडल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वयं विद्युत मंडल की याचिका में पेश तथ्यों व आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है।

आधी बिजली की बरबादी

जहां बिजली बनती है, वहां से उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते प्रदेश की लगभग आधी बिजली बरबाद हो रही है। इन्हें **पारेषण और वितरण हानियां** कहा जाता है। म.प्र. में इसके आंकड़े साथ के चित्र में देखें। किसी भी मानदण्ड से यह नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी व्यवस्था में ये 20 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मध्यप्रदेश की पारेषण और वितरण हानियां पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं।

क्षमता से कम बिजली उत्पादन

मध्यप्रदेश के बिजली कारखानों में क्षमता से बहुत कम बिजली पैदा की जा रही है। इसे *प्लांट लोड फैक्टर* कहा जाता है। आंकड़े साथ के चित्र में देखें। प्रदेश के बिजली कारखानों की कोयला खपत, विशिष्ट तेल खपत, आक्ज़िलरी खपत, स्टेशन हीट रेट आदि सभी निर्धारित मानदण्डों से बहुत ज़्यादा है। जिस सुधार या कुशल प्रबंध का ढोल पीटा जा रहा है वह दूर-दूर तक नज़र नहीं आता।

जब प्रदेश में ज़बरदस्त बिजली संकट चल रहा हो और पनबिजली घर पानी की कमी के कारण पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हों, तब कोयले से बनने वाली बिजली के कारखानों की यह अव्यवस्था व अक्षमता अक्षम्य ही है।

बढ़ता बकाया

'सुधारों' के तहत बिजली चोरी रोकने और बकाया बिलों की वसूली का बहुत हल्ला किया जा रहा है। इसके लिए गरीबों, किसानों और छोटे उपभोक्ताओं की बिजली

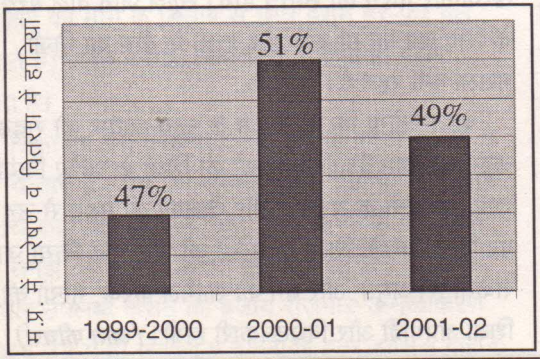

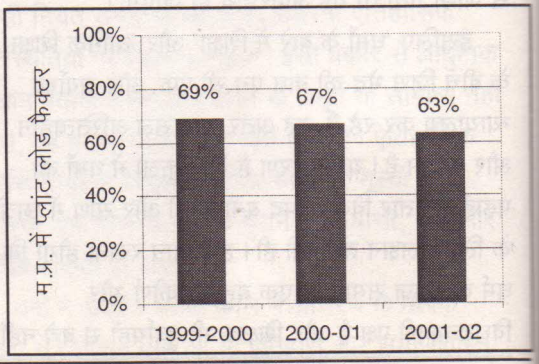

विभिन्न राज्यों में वितरण व पारेषण हानियां	
राज्य	प्रतिशत हानियां
महाराष्ट्र	32
गुजरात	34
प.बंगाल	39
कर्नाटक	36
उत्तर प्रदेश	42
राजस्थान	43
आंध्र प्रदेश	45
हरियाणा	47
मध्य प्रदेश	49

काटी जा रही है और उन पर ज़्यादतियां की जा रही है। बिजली बिलों की वसूली के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक नया कानून 'म.प्र. ऊर्जा अधिनियम, 2001' भी बना दिया है, जिसमें नायब तहसीलदारों और मण्डल के अधिकारियों को घरों में घुसने, तलाशी, जब्ती, कुर्की व नीलामी के मनमाने अधिकार दे दिए गए हैं। इसके बावजूद स्थिति क्या है? मार्च 1999 के अंत में 486 करोड़ रुपए के बिजली बिलों की वसूली तीन वर्ष से ज़्यादा समय से बकाया थी। यह राशि मार्च 2001 के अंत में बढ़कर 815 करोड़ रुपए हो गई थी। मार्च 2002 की स्थिति मंडल ने अपनी याचिका में नहीं बताई है किन्तु हाल में ऊर्जा मंत्री ने एक साक्षात्कार में बताया कि मंडल का 1600 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर बकाया है।

गौरतलब है कि मार्च 2001 के अंत में तीन वर्ष से ज़्यादा समय तक बकाया लगभग 90 प्रतिशत राशि बड़े उद्योगों और सरकारी उपक्रमों पर है। बाकी सारे उपभोक्ता जिनमें किसान हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, छोटे व्यावसायिक उपभोक्ता है और बदनामशुदा एक-बत्ती कनेक्शन भी हैं, उन पर मात्र 10 प्रतिशत बकाया राशि है। अभी तक विद्युत मंडल और एशियाई विकास बैंक ने किसानों और एक-बत्ती कनेक्शनों को ही मंडल की वित्तीय समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की बिजली के पैसे को असल में हड़पने वाले बडे लोग हैं- बड़े पूंजीपति और उद्योगपति और सरकारी उपक्रमों में बैठे बडे लोग।

वसूली में फर्ज़ी सुधार

म.प्र. विद्युत मंडल की वसूलियों में एक फर्ज़ी सुधार हाल में दिखाई दे सकता है। मध्यप्रदेश की नगर पालिकाओं, नगर निगमों व अन्य सरकारी उपक्रमों पर लगभग 740 करोड़ रुपए का बिजली बिल 31 मार्च 2001 को बकाया था। एशियाई विकास बैंक से मिलने वाले कर्ज़ का एक पूरा हिस्सा इनके भुगतान के लिए जमा किया जा रहा है। इससे विद्युत मंडल की बेलेन्स शीट में एक कृत्रिम सुधार तो हो जाएगा, शहरों की जल प्रदाय व्यवस्था में बिजली आपूर्ति का संकट भी फिलहाल टल जाएगा। लेकिन यदि बुनियादी व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो बाहर से कर्ज़ा लेकर कब तक इस संकट को टाला जाएगा? विशेषकर जब म.प्र. विद्युत मंडल लगातार बिजली का शुल्क बढ़ाता जा रहा हो, और तीन वर्ष बाद जब कर्ज़ की वापसी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ शुरू होगी, तब यह संकट और गहरा जाएगा।

बढ़ता घाटा

म.प्र. विद्युत मंडल लगातार भारी घाटे में चल रहा है। वर्ष 2001-02 में इसके खर्च और इसकी आय में 859 करोड़ रुपए का अंतर था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा नहीं चुकाई गई देनदारियों में 1994 से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। 31 मार्च 2002 को उसे कुल 6092 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, परमाणु ऊर्जा निगम, कोल इंडिया आदि उपक्रम कई बार बिजली और कोयले की आपूर्ति रोकने की धमकी देते हैं, या पर्याप्त आपूर्ति नहीं करते हैं, जिससे प्रदेश का बिजली का संकट और बढ़ जाता है।

कर्ज़ का पहाड़

म.प्र. विद्युत मंडल कर्ज़ के ज़बर्दस्त बोझ से भी दबा है, जो लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 1998 में संयुक्त मध्यप्रदेश में इसके ऊपर 4358.5 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण थे। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद विद्युत

मंडल की संपत्ति के साथ कर्ज़ का भी बंटवारा हुआ। इसके बावजूद वर्ष 2001 में अलग हुए म.प्र. विद्युत मंडल पर पहले से ज़्यादा 4892.6 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण था। अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण इसके अतिरिक्त हैं। एशियाई विकास बैंक का कर्ज़ इस बोझ में बढ़ोतरी ही करने वाला है। यह कर्ज़, इसका ब्याज और दण्ड ब्याज विद्युत मंडल की लागतों को बढ़ा रहे हैं।

यदि बार-बार बिजली का शुल्क बढ़ाकर और एक-बत्ती कनेक्शन तथा पांच हार्सपावर के कृषि पंपों के निशुल्क कनेक्शनों को लगभग खत्म करने के बाद भी म.प्र. विद्युत मंडल के घाटे, कर्ज़ व देनदारियों में कमी नहीं आती, तो कथित सुधारों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है।

बढ़ती लागतें

प्रदेश का आम आदमी तकनीकी और वित्तीय बारीकियों को नहीं समझता है। उसके लिए बिजली सुधारों का मतलब होता है कि उसे सस्ती, सुलभ व पर्याप्त बिजली मिले। अफसोस की बात है कि इस मोर्चे पर भी म.प्र. विद्युत मंडल बुरी तरह असफल रहा है। विद्युत मंडल की अक्षमता और कुव्यवस्था के कारण इसके खर्च व बिजली आपूर्ति की लागत, दोनों लगातार बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पिछले वर्ष हुई, जो कथित सुधारों को पूरे जोर-शोर से लागू करने का वर्ष था। मात्र पांच वर्षों में बिजली आपूर्ति की लागत ढाई गुने से भी ज़्यादा हो गई, फिर भी इसे बिजली सुधार की संज्ञा देना अद्‌भुत बात है।

महंगी बिजली

एक वर्ष पहले बिजली की दरें बढ़ाने के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी के नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं। यदि वे लागू हो गए, तो मध्यप्रदेश की बिजली कई मायनों में देश की सबसे महंगी बिजली हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक महीने में 130 युनिट तक बिजली जलाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 350 पैसे प्रति युनिट शुल्क होगा, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। विभिन्न राज्यों में यह शुल्क 114 पैसे से लेकर 332 पैसे तक है। इसी प्रकार से, नई दरें लागू होने के बाद मध्यप्रदेश के किसान को 2800 रुपए प्रति हार्स पावर देना होगा। किसानों को वर्तमान में तमिलनाडु में मुफ्त बिजली मिल रही है, जबकि अन्य राज्यों में यह शुल्क 60 रुपए से लेकर करीब 1700 रुपए तक है। नर्मदा किनारे के किसानों को इससे भी दुगना भुगतान करना होगा। चाहे बिजली मिले या ना मिले, यह शुल्क तो लगेगा ही।

बिजली का भारी संकट

बिजली उपभोक्ताओं का एक वर्ग बिजली के लिए ज़्यादा शुल्क भी देने को तैयार है, बशर्ते बिजली नियमित और पर्याप्त मिले। यही दलील एशियाई विकास बैंक ने मध्यप्रदेश के बिजली सुधारों का कार्यक्रम बनाते वक्त दी है। लेकिन विडंबना यह है कि इस मोर्चे पर भी बिजली सुधार बुरी तरह असफल साबित हुए हैं। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक प्रदेश में बिजली की कमी कुल मांग की 3 से 6 प्रतिशत तक थी। वर्ष 2001-02 में यह कमी बढ़कर 15.67 प्रतिशत हो गई और चालू वर्ष में बढ़कर 18.57 प्रतिशत होने का अनुमान है। म.प्र. सरकार बिजली की कमी के लिए सूखा और बिजली कारखानों के छत्तीसगढ़ में चले जाने का कारण बता रही है, लेकिन बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार जो कर सकती थी (जैसे ताप बिजली घरों को पूरी क्षमता पर चलाना, या पारेषण व वितरण की हानियां कम करना), उन्हें करने में भी वह बुरी तरह असफल रही है।

ऐसा भी नहीं है कि इस अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण और गरीबों को बिजली पहुंचाने की दिशा में कोई उल्लेखनीय काम हुआ हो। आज भी प्रदेश के 1400 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। एशियाई विकास बैंक का दस्तावेज़ तो कहता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 29 प्रतिशत घरों में ही बिजली है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की तीन-चौथाई आबादी गांवों में रहती है, लेकिन बिजली की 62 प्रतिशत खपत शहरों में होती है। प्रदेश के किसान बिजली को तरसते रहते हैं। इस असंतुलन को दूर करने का कोई कार्यक्रम कथित सुधारों में नहीं है।

बल्कि अब तो घड़ी उल्टी चल पड़ी है। बिजली की दरें बढ़ाने, गरीबों के लिए मुफ्त एक-बत्ती कनेक्शन और पांच

हार्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था लगभग खत्म करने से बिजली अनेक लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। अनुमान है कि पांच हार्सपावर वाले 95 प्रतिशत किसानों और 75 प्रतिशत एक-बत्ती उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलना अब बंद हो गई है। यानी सुधारों से प्रदेश के गरीबों और किसानों को बिजली से वंचित करने की एक प्रक्रिया चालू हुई है।

निजी बिजली उत्पादन

बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए काफी समय से बिजली उत्पादन में निजी और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने की वकालत की जा रही है। शुरुआत महाराष्ट्र में एनरॉन कंपनी के बिजली कारखाने से हुई। निजी कंपनियों को निमंत्रण देने की होड़ लगी और इस भेड़चाल में मध्यप्रदेश सरकार भी शामिल हो गई। कुल 17 देशी-विदेशी कंपनियों के साथ बिजली खरीदने के समझौते भी हो गए। लेकिन लगभग चार-पांच वर्ष बीत जाने पर भी इनमें से एक पर भी काम नहीं चालू हो पाया। दरअसल एनरॉन की भांति ये सारी निजी तथा विदेशी कंपनियां भारी मुनाफे की गारंटी के साथ ही इस क्षेत्र में कूदना चाहती हैं। एनरॉन के भंडाफोड़ और महेश्वर परियोजना के प्रबल जन-विरोध ने उन सबकी हवा निकाल दी है।

विदेशी सलाह से सुधार

मध्यप्रदेश में बिजली सुधारों की प्रक्रिया 1996 में टाटाराव समिति की नियुक्ति से शुरू हो गई थी। जनवरी 1997 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद मध्यप्रदेश की बिजली व्यवस्था लगातार एशियाई विकास बैंक और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सिडा) के प्रभाव में रही है। प्रदेश की जनता के बीच कभी इन सुधारों पर सलाह या चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। जनवरी 1998 में एशियाई विकास बैंक ने मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास परियोजना की तैयारी के लिए एक लाख डॉलर स्वीकृत किए। विदेशी सलाकारों से 6 अध्ययन करवाए गए, जिनमें तीन के लिए एशियाई विकास बैंक ने पैसा दिया और तीन के लिए सिडा ने। वर्ष 1999 में म.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ। वर्ष 2000 में म.प्र. बिजली क्षेत्र सुधार कानून बन गया, जो 3 जुलाई 2001 से लागू हो गया। जनवरी 2001 से मुफ्त एक-बत्ती कनेक्शन और पांच हार्स पावर तक मुफ्त कृषि पंप कनेक्शन बंद कर दिए गए। बिजली वसूली के लिए म.प्र. ऊर्जा अधिनियम 2000 भी अक्टूबर 2001 से लागू हो गया। मई 2002 में म.प्र. सरकार और केन्द्रीय बिजली मंत्रालय के बीच बिजली सुधार सम्बंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। 2001 और 2002 में म.प्र. विद्युत मंडल को पांच टुकड़ों में तोड़कर कंपनियां बनाने का काम भी पूरा हुआ। इसी अवधि में मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटर में बदलने का भी अभियान चला। 6 दिसंबर 2001 को आखिरकार एशियाई विकास बैंक ने 20 और 15 करोड़ डॉलर के दो ऋण स्वीकृत किए और मार्च 2002 में मध्य प्रदेश सरकार को 6.5 करोड़ डॉलर की पहली किश्त मिल गई। दूसरी किश्त भी इसी वर्ष में मिलना है।

इन सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट हर तीन माह पर एशियाई विकास बैंक को भेजी जाना है और प्रत्येक 6 माह में बैंक के प्रतिनिधि अफसरों के साथ बैठक और समीक्षा करेंगे। हाल ही में ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) भी मध्य प्रदेश के बिजली सुधारों में कूद पड़ा है। उसने म.प्र. विद्युत मंडल और म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को तकनीकी सहायता और प्रदेश में बिजली सुधारों की समय-सारणी बनाने के लिए विदेशी सलाहकारों की नियुक्ति करवा दी है।

सवाल यह है कि पिछले चार-पांच वर्षों से चल रहे इन बिजली सुधारों से मध्य प्रदेश की जनता को मिला क्या? और सुधार क्या हुआ? यदि बिजली नुकसान कम नहीं हुए, बिजली कारखानों की कार्यक्षमता नहीं बढ़ी, बिजली बिलों की वसूलियों में सुधार नहीं हुआ, विद्युत मंडल के घाटे, कर्ज़ व देनदारियों में कमी होने के बजाय लगातार इज़ाफा हुआ, बिजली की लागतों में भारी बढ़ोतरी हुई, बिजली आपूर्ति में भी सुधार नहीं हुआ, तो सुधार कहां हुआ? क्या प्रदेश की जनता को सिर्फ बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी और वक्त-बेवक्त बिजली की भारी घोषित-अघोषित कटौती ही सुधारों के नतीजे में मिलेगी? क्या किसानों, गरीबों व